बिहार सरकार (राज्य स्कीम)

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4 / डी0 / आवासीय विद्यालय(स्वी0 / नि0)–01–42–09 / 2015– 15

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 02/06/2017

विषयः– **वर्ष 2015–16 में स्वीकृत्यादेश संख्या–125 दिनांकः–02.02.2016 द्वारा राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, सिधांव, पश्चिम चम्पारण के परिसर में 560 आसन वाले नये विद्यालय भवन, छात्रावास भवन, शिक्षक आवास भवन, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास भवनों के निर्माण कार्य एवं आवासीय विद्यालय के परिसर उन्नयन के कार्यो के लिए कुल ₹19.95 करोड (उन्नीस करोड़ पन्चानवे लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में कुल ₹19.95 करोड (उन्नीस करोड़ पन्चानवे लाख) की निकासी की स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

2– इस योजना के लिए राज्य स्कीम से भवन निर्माण विभाग के निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगा ।

राज्य स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 मुख्य शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन– लघुशीर्ष–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–0104–अनुसचित जनजाति के भवन–विषय शीर्ष–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–03-4059017960104 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। योजना पर व्यय बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होगा।

3– आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य एवं परिसर का उन्नयन कार्य राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, सिधांव, पश्चिम चम्पारण के चिन्हित भूमि पर कराया जाएगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5– इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पी0 एल0 खाता–238 में स्थानान्तरित करेगें। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा राशि व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा एवं इसकी सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को देगे।

6– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7– इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

11 – इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

12 – कृपया पत्र प्राप्ति की सूंचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

1.6.17

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4 / निदे0 छात्रावास(स्वी0 / नि0)–01–42–09 / 2015– 15   पटना, दिनांक 02/06/2017

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग / सचिव, निगरानी विभाग / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार / कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / संबंधित उप निदेशक, कल्याण / संबंधित जिला कल्याण पदाधिकरी / प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2/6/17

सरकार के सचिव।